19.6.18 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत लुहारी में पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 उपस्थित आये। आपत्ति प्रार्थना पत्र पर सुना गया। आपत्ति कर्ता विजय कुमार का कथन है कि विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों की सहमति से तैयार नहीं किये गये हैं। विवादित खसरा नम्बर के अलावा अन्य वाद भी पक्षकारों के मध्य बटवारे बावत लम्बित है। अतः उक्त प्रकरण का निस्तारण एक साथ कर समस्त खसरा नम्बरान का एक साथ बटवारा किया जावे। वादी का कथन है कि अन्य वाद जो चल रहा

विनोद कुमार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	है उसमें वादी पक्षकार नहीं है एवं ना ही उस वाद में ख.नं. 222 शामिलित है। अतः आपत्ति खारिज कर दावा मुताबिक ~~प्रथम~~ विभाजन प्रस्ताव दावा डिक्री किया जावे। पत्रावली के अवलोकन से संलग्न विभाजन प्रस्तावों पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हस्ताक्षर हो रहे हैं। तहसीलदार धौलपुर ने अंकित किया है कि प्रतिवादी विजय कुमार ने मौके पर आने से मना किया है। प्रतिवादी द्वारा अपनी आपत्ति में एक अन्य वाद इसी आराजी बाबत इन्हीं पक्षकारों के मध्य चलना बताया है किन्तु आपत्ति प्रार्थना पत्र में उस वाद का उनवान व तारीख पेशी अंकित नहीं की गयी है। वादी के द्वारा बताया गया कि प्रकरण विजय कुमार बनाम भगवती प्रसाद है जो आज कैम्प में सुनवाई हेतु लाया गया है। उक्त पत्रावली का अवलोकन करने पर इस प्रकरण में बटवारे हेतु विवादित आराजी में खसरा नम्बर 222 ग्राम बहवलपुर शामिल नहीं है और ना ही वादी विजय सिंह को पक्षकार बनाया गया है। अतः प्रतिवादी विजय कुमार की आपत्ति खारिज की जाकर दावा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाना उचित समझते है।	

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज.)

विजय सिंह / भगवती प्रसाद

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	अतः आदेश है कि ~~सभी~~ अप्राप्ति प्रतिवादी संख्या 3 खारिज की जाकर दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 2221 रकबा ७ बिस्वा हिस्सा दक्षिण ग्राम बहलपुर का विजय सिंह पुत्र जंगजीत वादी को, आराजी खसरा नम्बर 2221 रकबा 12 बिस्वा ग्राम बहलपुर हिस्सा उत्तर का भगवती प्रसाद व बंगाली प्रसाद पिसरान पि० देवकीनन्दन जाति त्यागी को एवं आराजी खसरा नम्बर 2221 रकबा ४ बिस्वा मध्य भाग ग्राम बहलपुर का विजय कुमार पुत्र श्रीराम जाति ब्राह्मण निवासी लहरी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में खाता अलग कायम कर लगान पृथक-पृथक कायम किये जाने तथा राजस्व नक्शे में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मुद्रांक शुल्क पेश होनेपर पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली कैफियत शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [हस्ताक्षर] उपखण्डाधिकारी धौलपर (राज.)	

Scanned by CamScanner